न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12 / 2019

प्रार्थीगण :–	अप्रार्थी :–
1 बालाराम पुत्र बनाराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ाश्यामा तहसील सोजत जिला पाली राज0।	1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमि धारक) सोजत ।
2. मंगलाराम पुत्र लादूराम जाति सरगरा निवासी गुड़ाश्यामा, तहसील सोजत जिला पाली राज0।	

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री विरेन्द्रसिंह भाटी, तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं ।

–: निर्णय :– दिनाँक – 26.09.2019

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुड़ा कलां तहसील सोजत खसरा नम्बर 319 रकबा 0.7100 हैक्टेयर बा0अ0 की जोत में नया मार्ग आवागमन हेतु खसरा नम्बर 328 रकबा 27.1400 हैक्टेयर की गै0मु0 मगरा भूमि में से नया रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। तारीख पेशी दिनांक 26.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिसेज तामिली / सूचना हो जाने के उपरान्त लगातार अवसर दिए जाने के पश्चात् भी जबाब पेश करने में विफल रहने से दिनांक 15.07.2019 को और समय दिया गया। तथापि तहसीलदार ,सोजत से प्रार्थित / आवेदित तथा विवादग्रस्त रास्ते एवं वैकल्पिक रास्ते की भूमि की बरूवे मौका जांच बाद बिन्दुवार जांच रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / 2019 / 507–508 दिनांक 18.07.2019 द्वारा चाही गई। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2019 / 2675 दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (फर्द मौका) मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्टानुसार इस प्रकरण से सम्बद्ध प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा गुड़ा कलां तहसील सोजत के ख0न0 319 रकबा 0.7100 हैक्टर बा0अ0 की भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान में ख0न0 328 रकबा 27.1400 हैक्टर किस्म गै0मु0 मगरा में से कच्चा मार्ग है, जिससे आवागमन हो रहा है तथा निकटतम रास्ता है। फर्द मौकानुसार मौके पर ख0न0 319 के आने जाने हेतु रास्ता मुख्य सड़क से वर्तमान में कच्चा रास्ता बना हुआ है, जो वर्तमान में चालु है एवं रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

पत्रावली आज दिनांक 26.09.2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी तहसीलदार सोजत आज उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना तथा रेकर्ड का अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूँकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में खसरा नम्बर 319 रकबा 0.7100 हैक्टर पहूँचने हेतु खसरा नम्बर 328 रकबा 27.1400 हैक्टर सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, चूँकि हस्तगत प्रार्थित रास्ते के लिए चाही गई भूमि किस्म गै0मु0 मगरा है तथा रास्ता मुख्य सड़क से वर्तमान में कच्चा मार्ग बना हुआ है जो वर्तमान में चालु है तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना परिलक्षित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नही हुए है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होना पाया जाता है। लिहाजा खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नही हुए है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने से पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner